



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 138) पटना, बृहस्पतिवार, 14 फरवरी 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना
14 फरवरी 2013

सं0 10/नीति (शुल्क पुन0)—88/2012 (खंड)—1008—देशी शराब, मसालेदार देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर के विहित प्रक्रिया से निर्धारित होने वाले मूल्य को अगले पूर्णांक रूपये पर बिक्रय मूल्य निर्धारित किया जायगा। खुदरा मूल्य एवं अगले पूर्णांक रूपये में मूल्य की अन्तर राशि मद्य निषेध सेस के रूप में अधिरोपित किया जाता है।

2. इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग राज्य में मद्य निषेध के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं संबंधित कार्रवाई हेतु किया जायेगा, जिसमें नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन, मद्य निषेध हेतु अभियान, अवैध शराब को रोकने हेतु कार्रवाई आदि पर किया जायेगा।

3. मद्य निषेध सेस से प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाली राशि को उत्पाद विभाग के बजट शीर्ष में इसके लिए अलग से शीर्ष खोलकर प्रावधानित किया जायेगा तथा तदनुसार इसका उपयोग किया जायेगा।

यह बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 138-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>